न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 17/2018
GCMS No. : 2018/00020

-:: वादी ::-

1. पन्ना पुत्र उंकार जाति राईका निवासी कोटड़िया (कुड़की), तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

बनाम

-:: प्रतिवादी ::-

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू :-09/01/2018

उपस्थितः- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

-:: निर्णय ::-

दिनाँकः- 23/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की में खसरा संख्या 2/10 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम के खातेदार वर्तमान जमाबंदी में सोनिया पुत्र उंकार राईका दर्ज है जो गलत इन्द्राज है जो काबिल दुरूस्त के है नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 पेश है। पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि संवत् 2033 से 2036 मे बनी जमाबंदी में उंकार पुत्र रावत कौम राईका गैर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा उंकार की मृत्यु होने पर तत्कालीन रेवेन्यु एजेंसी ने जरिए म्युटेशन संख्या 214 के उनके विधिक वारिस सोनिया पुत्र उंकार दर्ज कर दिया गया जरिए म्युटेशन संख्या 226 के उंकार के विधिक वारिसान सोनिया जो कि जमाबंदी में बतौर गैर खातेदार दर्ज था उसके स्थान पर बतौर खातेदार इन्द्राज कर दिया। इस प्रकार पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार सोनिया पुत्र उंकार वर्तमान जमाबंदी तक गलत चला आ रहा है जबकि उंकार के विधिक वारिसान का सही नाम पन्ना पुत्र उंकार राईका है। उक्त कृषि भूमि में जब तक उंकारजी जीवित थे उनका कब्जा काश्त था तथा उनकी मृत्युपरांत एक मात्र विधिक वारिस वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी का नाम सोनिया के स्थान पर पन्ना पुत्र उंकार राईका का नाम जमाबंदी में संशोधित किया जाना आवश्यक है वादी ने अपना नाम सही इन्द्राज करवाने बाबत् प्रतिवादी के कार्यालय में दिनांक 26.12.2017 को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतू कहा। वादी का यदि जमाबंदी में सानिया पुत्र उंकार दर्ज रहता है तो वादी अपनी कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लेने में व राज्य सरकार से मिलने वाली सु[illegible] से भी दिन प्रतिदिन वंचित हो रहा है। वादी का सही नाम [illegible] है इस बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन [illegible] भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, तथा दी पाली सेन्ट्रल कॉपरेटिव [illegible]क शाखा कुड़की [illegible] जारी पासबुक तथा सरहद मौजा कोटड़िया में स्थित वादी के नाम अन्य खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

328, 2/12, 51/5, 373 की कृषि भूमि की जमाबंदी में वादी का नाम पन्ना पुत्र उंकार राईका बतौर खातेदार दर्ज है। इसलिए उपरोक्त कारणो से वादी ने वाद घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया है। राजस्व दस्तावेज व वादी के सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेज की प्रति पेश है। बिनाय वाद दिनांक 26.12.2017 को वादी ने अपना नाम संशोधन करवाने हेतू प्रतिवादी को कहा तो उन्होने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतू कहने पर बमुकाम कोटड़िया पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के अधिकार क्षैत्र में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश की, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में कथन किया जिसके अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कुड़की मजमें आम में जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थी के पिता उंकार पुत्र रावत के फौत होने पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय सोनिया पुत्र उंकार दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पन्ना पुत्र उंकार है। सोनिया पुत्र उंकार का अन्य कोई व्यक्ति कोटड़िया ग्रम में निवास नही करता है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र पेश किए तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाए। अधिवक्ता वादी तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी एवं सरकारी पैराकार पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादी पन्ना पुत्र उंकार द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटड़िया में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2/10 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम जिसके वर्तमान भू अभिलेख में खातेदार सोनिया पुत्र उंकार राईका दर्ज है जो गलत इन्द्राज है, जो काबिल दुरूस्त है। जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में उंकार पुत्र रावत कौम राईका गैर खातेदार दर्ज है। तथा उंकार की मृत्यु होने पर नामान्तरण संख्या 214 द्वारा विधिक वारिस सोनिया पुत्र उंकार दर्ज कर दिया गया तथा नामान्तरण संख्या 226 द्वारा गैरखातेदार से खातेदार इन्द्राज कर दिया गया। वादी उंकारजी का एकमात्र विधिक वारिसान है तथा वादी का नाम सोनिया के स्थान पर सही नाम पन्ना पुत्र उंकार दर्ज करना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:34 IST
Reason: Self Attested

2. प्रकरण में नायब तहसीलदार ... तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मौका फर्द प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कुड़की मजमें आम में जांच करने पर पाया गया कि प्रार्थी के पिता उंकार पुत्र रावत के फौत होने पर विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय सोनिया पुत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उंकार दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम पन्ना पुत्र उंकार है। सोनिया पुत्र उंकार का अन्य कोई व्यक्ति कोटड़िया ग्रम में निवास नही करता है।

3. साक्ष्यवादी में वादी पन्ना पुत्र उंकार द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पर वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो व कथनो का समर्थन किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श करवाए। प्रदर्श–1 ग्राम कोटड़िया की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में खसरा संख्या 2/10 रकबा 10 बीघा आराजी का सोनिया पुत्र उंकार राईका खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 ग्राम कोटडिया की जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी में नामान्तरण संख्या 226 से खातेदार दर्ज किया गया तथा नामान्तरण संख्या 214 द्वारा सोनिया पुत्र उंकार दर्ज किया गया। प्रदर्श–3 ग्राम कोटड़िया की नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 214 के अनुसार खातेदार उंकार पुत्र रावत कौम राईका फौत होने पर सानिया पुत्र उंकार कौम राईका दर्ज किया गया। तथा नामान्तरण संख्या 226 के अनुसार गैर खातेदारी को दस वर्ष पूर्ण होने से खातेदारी दी गई। प्रदर्श–7ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श–8ए आधार कार्ड, प्रदर्श–9ए ग्राम कोटड़िया का परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम पन्ना पुत्र उंकार एवं पन्नाराम पुत्र उंकारराम दर्ज है।

4. इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान मजमें आम में तैयार मौका फर्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार उंकार पुत्र रावत के पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम पन्नाराम पुत्र उंकारराम है न कि सोनिया पुत्र उंकार। सोनिया नाम का कोई व्यक्ति ग्राम कोटड़िया निवासरत नही है तथा न ही उंकार के सोनिया नाम का कोई पुत्र है। इससे यह भी स्पष्ट है कि खातेदार उंकार के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार के वारिसान के नाम की दस्तावेजात् के आधार पर न तो जांच की गई एवं न ही सत्यापन किया गया। अतः फौतेदगी नामान्तरण संख्या 214 की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार उंकार पुत्र रावत के वारिसान के तौर पर पन्नाराम का नाम दर्ज नही कर इसका गलत नाम बिना किसी आधार के सोनिया दर्ज कर दिया गया, जो कि विलोपन योग्य है अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में गलत रूप से दर्ज प्रविष्टि सोनिया पुत्र उंकार को विलोपित करते हुए खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम पन्नाराम पुत्र उंकारराम दर्ज करते हुए शेष प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए पन्नाराम पुत्र उंकारराम को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कोटड़िया पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

फुड़की तहसील–जैतारण जिला–पाली के खसरा नम्बर 10/2 रकबा 10–00 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''सोनिया पुत्र उंकार'' को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''पन्नाराम पुत्र उंकारराम''** दर्ज करते हुये शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए पन्नाराम पुत्र उंकारराम कौम राईका को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित करते हुए इसी कदर वादपत्र डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला पाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:25:34 IST
Reason: SelfAttested